US-92

04-01-2022

अत्यंत महत्वपूर्ण / विधानसभा
विशेष पत्र वाहक / ई–मेल द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉ तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(10)/अता./ ~~ता प्र.सं.92~~ /द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग–2022/दिविस/श.वि./1387-89 दिनांकः 01–01–2022

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः–दिल्ली सातवीं विधानसभा के द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग तारांकित /अतारांकित प्र. स. 92 मान्नीय विधायक श्री सुश्री भावना गौड़, दिनांक 04.01.2022 को

सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ, मान्नीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मान्नीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

Scanned by TapScanner

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : सुश्री भावना गौड

दिनांक : 04.01.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 92

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले पालम गांव व इसके आसपास की समस्त ग्रामसभा एक नोटीफिकेशन के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की जा चुकी है;	उप–मंडलीय (राजस्व)– नोटिफिकेशन दिनांक 24–10–1994 के तहत पालम विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी गांव शहरीकृत घोषित किए जा चुके हैं तथा नोटिफिकेशन दिनांक 20–08–2002 u/s 22(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत समस्त ग्राम सभा भूमि का कब्जा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दे दिया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)। अतः जानकारी दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है।
ख	यदि हां, तो इनका पूर्ण विवरण दें;	उप–मंडलीय (राजस्व)– जानकारी दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है।
ग	क्या इन सभी भूमि पर डीडीए द्वारा अपनी चारदीवारी की गई है;	**दिल्ली विकास प्राधिकरण** दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ.5 (3)/मिस./2015/पी एंड सी/ वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, को सूचित किया है कि– दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)
घ	क्या यह सत्य है कि पालम मेट्रो के निर्माण के समय मेट्रो विभाग ने कुछ भूमि डीडीए से अपना रखने हेतु किराये पर ली थी, यदि हां, तो इससे संबंधित संपूर्ण विवरण उपलब्ध करायें;	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि0 से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10294.53 वर्ग मीटर भूमि पर डीडीए के पत्र दिनांक 13.08.2012 द्वारा अस्थायी आधार पर डीएमआरसी को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई ।
ड	क्या यह भूमि मेट्रो ने डीडीए को वापस कर दी है, यदि हां, तो कब; और	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि0 जी नहीं ।
च	डीडीए द्वारा कितना किराया मेट्रो से लिया गया, और अभी इस भूमि की क्या स्थिति है?	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि0 से प्राप्त जानकारी के अनुसार डीडीए द्वारा अस्थायी भूमि का औपचारिक आवंटन पत्र प्राप्त नहीं हुआ हैं, इसलिए डीएमआरसी द्वारा डीडीए को अभी तक कोई भी पट्टा किराया का भुगतान नहीं किया गया है । भूमि की वर्तमान स्थिति का विवरण इस प्रकार हैः–

		भूमि का क्षेत्रफल	भूमि की वर्तमान स्थिति
		777.35	इस भूमि पर डीडीए द्वारा चारदीवारी का निर्माण किया जा चुका है तथा अभी यह भूमि डीडीए के कब्जे में हैं।
		3248.23 वर्ग मीटर	डीएमआरसी के कार्य निष्पादन के दौरान इस भूमि का तथाकथित मालिक कोर्ट में केस जीत गया है और इस भूमि पर कब्जा कर लिया है। डीएमआरसी ने डीडीए को इस विषय में सूचित कर दिया हैं डीएमआरसी ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दे दी है।
		6268.95 वर्ग मीटर	• 3542.13 वर्ग मीटर भूमि स्थायी तौर पर डीडीए से कार पार्किंग के निर्माण के लिए मांगी गयी है, जिसका स्थायी आवंटन डीडीए से किया जाना है। • 2726.82 वर्ग मीटर भूमि, जिस पर एमएआई मॉडल का निर्माण किया जा चुका है,तथानुसार डीडीए को सूचित कर दिया है।

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

111 C

(TO BE PUBLISHED in PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE)
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI : LAND & BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated: 19.[illegible]

No.F.1(172)/LM/2001/L&B: Whereas the Municipal Corporation of Delhi vide th[illegible]
notification No.F.33/Engg.TP(DP)11424/94, dated 24th October, 1994 have declared the villag[illegible]
as mentioned under column No.3 of the schedule annexed below as urban.
And whereas, by virtue of the operation of Section 150(3) (a) of the Delhi Land Refo[illegible]
Act, the Gaon Sabha land of the said villages have been vested in the Central Government.
And whereas, the Central Government's powers under sub-section (1) of Section 22 of
Delhi Development Act, 1957 have been vested in the Lt. Governor, Delhi vide the Ministr[illegible]
Works & Housing's Notification No.K11011/15/71/UDI dated the 5th February, 1972.
And whereas, the terms and conditions upon which land is being placed at the dispos[illegible]
DDA have been agreed upon by the said Authority vide its Resolution No.114 dated the 10th [illegible]
1961, the Lt. Governor, Delhi is pleased to place the Gaon Sabha land of the villages sh[illegible]
under column No.3 of the Schedule annexed below at the disposal of Delhi Developm[illegible]
Authority for the purpose of development in accordance with the provision of the said Act.

SCHEDULE

Sl.No.	Name of the zone	Name of the Revenue Estate			
1	2	3			
1.	Najafgarh	1.	Palam	2.	Mirzapur
		3.	Dabri	4.	Nasirpur
		5.	Sagarpur	6.	Bagdola
		7.	Sahupura	8.	Matiala
		9.	Bindapur	10.	Kakrola
		11.	Loharheri	12.	Toganpur
		13.	Amberhai		
		14.	Shahbad Mohammadpur		
		15.	Bharthal	16.	Nawada
		17.	Pochanpur	18.	Bamnoli
		19.	Dhulsiras	20.	Bijwasan

By order and in the name of Lt.Gover[illegible]
National Capital Territory of Delhi.

Sd/-
(Z.U.SIDDIQUI)
Dated. 20-9-200[illegible]

No.F.1(172)/LM/2001/L&B/9225
Copy forwarded for information and necessary action to:
1. The Commissioner, LM-I, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, New Delhi.
2. The Secretary to L.G with reference to the directions of the Hon'ble Lt.Governor in th[illegible]
meeting on 19/8/02.

(Z.U.SIDDIQUI)
JOINT SECRETARY (LAN[illegible]
LAND & BUILDING DEPT
GOVT. OF NCT OF DELHI

Scanned with CamScanner

कार्यवाही कब्जा [illegible] मौजा [illegible] लिया गया

आज दिनांक 3/10/03 को मुताबिक आदेश एस.डी.एम. (सिविल लाइन्स)
[illegible] दिनांक 25/9/03 के, अनुसार मौजा [illegible] तहसील
[illegible] [illegible] की भूमि का मौका पर पहुँचा। मौका पर
दिल्ली प्रशासन की ओर से श्री प्रवीण कुमार पटवारी व दिल्ली
विकास प्राधिकरण की ओर से श्री वेदप्रकाश तहसीलदार व
श्री [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
दिल्ली प्रशासन के [illegible] [illegible] के पटवारी की [illegible] से
[illegible] [illegible] भूमि का मौका देखा गया। मौका पर [illegible] [illegible]
$\frac{32}{7/1}$ (0-15), 7/2 (2-04), 7/3 (0-08), 9/1 (0-16), [redacted] $\frac{32}{9}$ (1-0)
154 (3-03) $\frac{33}{3/2 \text{मि}}$ (3-02), 9/3 मि (3-00), 8/1 (3-02), 12/1 (3-18),
$\frac{33}{13/1}$ (2-15), 14 (3-15), 123 (12-00), 122 (10-12) कुल रकबा
(58-10) जो कि मौका पर खाली पाया गया। का कब्जा श्री वेदप्रकाश
दिल्ली विकास प्राधिकरण के हवाले किया गया।
इसके अलावा [illegible] रकबा 70/318 (0-10), $\frac{82}{17}$ (4-11), $\frac{82}{23/1}$ (2-11),
$\frac{82}{23/2}$ (1-07) कुल रकबा (8-17) मुताबिक रिकार्ड माल [illegible] [illegible] नं
218/3-5-03 भूमि [illegible] [illegible] आदेश तहसीलदार [illegible] का फैसला दिल्ली
हाई कोर्ट केस नं. 12/97 दिनांक 14/5/2002 [illegible] बनाम U.O.I. आदि
Status Quo दर्ज करने के आदेश हुए हैं। इसका कब्जा बाद में
कोर्ट के आदेश के आने के बाद दिया जायेगा।

Handing over

(KAPTAN BHARDWAJ)
3/10/03

3-10-03

Taken over

Ved Parkash
Teh (DDA)
3-10-03

Scanned with CamScanner

11/1

75

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक–बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023

सं. एफ 5(3) / मिस. / 2015 / पी एंड सी / सीएस / 769 दिनांक 2 अगस्त, 2018

Main letter in English Language was already been sent by Hon'ble min UD.
May place in the concern file.
10/8/18

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी- विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

DS-PC

विषय : छठी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07 / 06 / 2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09 / 07 / 2018 के आपने पत्र सं. एफ 53 (यू.एस.क्यू.) / बजट सेशन–सैकंड–जून -2018 / दिल्ली असेंबली / यू.डी. / डी 7175 7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ सं एफ.यू.एस.क्यू. / बजट सेशन II जून 2018 / दिल्ली असेंबली / यू.डी. / डी- 6983-43(यू.एस.क्यू.- 80), 6925 34 (क्यू.एस.क्यू. 78), 6977 80(यू.एस.क्यू. 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू. 70) दिनांक 29 / 05 / 2018 तथा अनुपूरक फर्द डी 7066 से 7068 दिनांक 13 / 06 / 2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए ए (3) (क) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अत: आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि. प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव